भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1373
दिनांक 09 फरवरी, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

जन औषधि केंद्रों की स्थापना

1373. श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमाः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में स्थापित किए गए प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्रों की वर्ष-वार कुल संख्या कितनी है;
(ख) क्या सरकार अस्पताल परिसरों के भीतर स्थापित किए जा रहे केन्द्रों के मामले में पांच लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) वर्ष 2024 तक देश में कुल कितने जन औषधि केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है; और
(ङ) प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्रों के माध्यम से देश के आम लोगों को दिए जा रहे लाभों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा)

(क): पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान देश भर में खोले गए प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (पीएमबीजेके) का विवरण निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	खोले गए पीएमबीजेके की संख्या	
		वर्ष में जोड़े गए	संचयी
1.	2018-19	1834	5140
2.	2019-20	1166	6306
3.	2020-21	1251	7557
4.	2021-22	1053	8610
5.	2022-23	694	9304

(ख) और (ग): सरकार उद्यमियों को निम्नलिखित तरीके से वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है:-

सामान्य प्रोत्साहन: किसी भी वर्ग के उद्यमियों द्वारा चलाए जाने वाले केंद्र जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से पीएमबीआई से जुड़े होते हैं, उन्हें 5.00 लाख रुपये तक का प्रोत्साहन मिलता है। इन केंद्रों द्वारा पीएमबीआई से की गई मासिक खरीद का 15% प्रोत्साहन राशि 5.00 लाख रुपये की कुल सीमा तक दी जाती है जो 15,000/- रुपये प्रति माह की सीमा के अधीन है।

अतिरिक्त प्रोत्साहन: नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों के रूप में उल्लिखित पिछड़े क्षेत्रों और हिमालयी, द्वीप क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में खोले गए केंद्रों के संबंध में उद्यमियों को सामान्य प्रोत्साहन के अतिरिक्त 2.00 लाख रुपये निम्नानुसार दिए जाते हैं:

i. फर्नीचर और फिक्स्चर की प्रतिपूर्ति के लिए 1.50 लाख रुपये।

ii. कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर, स्कैनर आदि के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में 0.50 लाख रूपये।

विशेष प्रोत्साहन: महिला उद्यमियों, पूर्व सैनिकों, दिव्यांगों, एससी और एसटी द्वारा संचालित केंद्रों को सामान्य प्रोत्साहन के अतिरिक्त, विशेष प्रोत्साहन के रूप में 2.00 लाख रुपये की राशि मिलती है। यह उद्यमियों को निम्नानुसार दिया जाता है:-

i. फर्नीचर और फिक्स्चर की प्रतिपूर्ति के लिए 1.50 लाख रुपये।

ii. कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर, स्कैनर आदि के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में 0.50 लाख रूपये।

(घ): विजन लक्ष्य के अनुसार मार्च, 2024 तक देश में 10,000 जन औषधि केंद्र खोले जाने थे। इसके विपरीत, दिनाक 31.01.2024 तक 10624 जन औषधि केंद्र पहले ही खोले जा चुके हैं।

(ङ): पीएमबीजेपी, औषध विभाग, भारत सरकार की एक नेक पहल, अब किफायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के अपने प्रयास में सामान्य जनता पर प्रभाव डाल रही है। जन औषधि दवाओं का मूल्य बाजार में उपलब्ध ब्रांडेड दवाओं के बाजार मूल्य से कम से कम 50% और कुछ मामलों में 80% से 90% तक वहनीय है। पीएमबीजेपी की उत्पाद टोकरी में वर्तमान में 1965 दवाएं और 293 सर्जिकल/उपभोज्य सामग्रियां शामिल हैं।

सैनिटरी पैड की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने 1 रुपये प्रति पैड पर जन औषधि सुविधा सेनेटरी नैपकिन लॉन्च किया है। ये पैड देशभर में खुले 10,500 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों के माध्यम से बिक्री किए जा रहे हैं। शुरुआत से लेकर दिनांक 31.01.2024 तक जन औषधि केंद्रों पर 50.72 करोड़ जन औषधि सुविधा सेनेटरी पैड बिक्री किए जा चुके हैं।

औसतन 10-12 लाख लोग प्रतिदिन जन औषधि केंद्रों (जेएके) पर आते हैं और पर्याप्त लाभ उठाते हैं। पिछले 09 वर्षों में केन्द्रों के माध्यम से की गई दवाओं की बिक्री से नागरिकों को ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 28,000 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित बचत हुई है।

इसके अतिरिक्त, पीएमबीजेपी स्थायी और नियमित कमाई के साथ स्वरोजगार का अच्छा स्रोत भी प्रदान कर रहा है। इसने देश के 21000 से अधिक शिक्षित युवाओं को योजना में शामिल करके उन्हें स्थायी आजीविका का प्रत्यक्ष स्रोत प्रदान किया है।

*****